Email Address: dmrudraprayag@gmail.com
Secondary Id: dm-rud-ua@nic.in
Phone No. 01364-233300(O), 233380
।। ई–मेल/पंजीकृत।।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या– 3117 /33–15 (2023–24) रूद्रप्रयाग दिनांक 13 मई, ,2024

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–44/2024 Jot Singh Bist Vs State of Uttrakhand में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–44/2024 Jot Singh Bist Vs State of Uttrakhand में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के क्रम में ऋषिकेश– कर्णप्रयाग रेल लाईन निर्माण परियोजना के कार्यों में रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा चोपड़ा गदेरे में डम्पिंग किये जाने पर गठित समिति तथा अन्य विभागों द्वारा संबंधित स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.04.2024 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे किया गया। अधोहस्ताक्षरी की ओर से उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित हुए।

उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्र संख्या–377/रीडर–विविध/24 दिनांक 10 मई 2024 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या (Searchable PDF/OCR में) संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(सौरभ गहरवार)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश को उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– सहायक महानिरीक्षक वन (के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3– क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Email Address: dmrudrapravag@gmail.com
Secondary Id: dm-rud-ua@nic.in
Phone No. 01364-233300(O), 233380
।। ई–मेल/पंजीकृत।।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या– ३१७ /33–15 (2023–24) रूद्रप्रयाग दिनांक 13 मई, ,2024

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–44/2024 Jot Singh Bist Vs State of Uttrakhand में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–44/2024 Jot Singh Bist Vs State of Uttrakhand में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के क्रम में ऋषिकेश– कर्णप्रयाग रेल लाईन निर्माण परियोजना के कार्यों में रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा चोपड़ा गदेरे में डम्पिंग किये जाने पर गठित समिति तथा अन्य विभागों द्वारा संबंधित स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.04.2024 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे किया गया। अधोहस्ताक्षरी की ओर से उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग स्थलीय निरीक्षण में उपस्थित हुए।

उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्र संख्या–377/रीडर–विविध/24 दिनांक 10 मई 2024 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या (Searchable PDF/OCR में) संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(सौरभ गहरवार)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः– मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश को उप जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संबंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– सहायक महानिरीक्षक वन (के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3– क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

13/05/24
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

M.C

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

OC.CO
Pro 13-05-2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांकः–377/रीडर–विविध/24, रूद्रप्रयाग, दिनांकः– 10 मई, 2024 ।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–44/2024, Jot singh Bisht vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक–07 मार्च, 2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–2616/33–15 (2023–24), दिनांक–22 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–44/2024, Jot singh Bisht vs Stat of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक–07 मार्च, 2024 के संबंधित है। इस संबंध में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्क्रम में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी, डा0 आर0के0चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून एवं श्रीमती नीलिमा शाह, सहा0 महानिरीक्षक वन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा किया गया।

अतः एतद्विषयक से संबंधित संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष चन्द्र घिल्डियाल)
उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–44/2024 विषयक Jot Singh Bist Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–44/2024 जोत सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्रकरण–ऋषिकेश–कर्णप्रयाग में किये जा रहे रेल परियोजना के कार्य में रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा चोपड़ा गधेरे पर डंपिंग के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

1. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
3. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।

तत्क्रम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. श्री आशीष चन्द्र धिल्डियाल, उपजिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्रीमती नीलिमा शाह–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग के मध्य रेल परियोजना के कार्यों का कार्य का रेलवे विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि, सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय), प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग, उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, तहसीलदार रूद्रप्रयाग, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग एवं राजस्व उप निरीक्षक ज्वाड़ी के अधिकारियों/कर्मचारियों आदि की उपस्थिति में गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 02.04.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। उपस्थिति संलग्न–(संलग्नक–1)

निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उपरोक्त स्थल पर कार्य करने हेतु रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा टनल निर्माण कार्य मै0 मेघा इंजीनियरिंग लि0 को दिया गया। कार्य के दौरान जनित मक को उपरोक्त स्थल पर निस्तारित किया गया है।

2. राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम जवाड़ी की खतौनी खाता संख्या–41/251, श्रेणी–9(3) ड0 (कृषि योग्य बंजर भूमि) के खसरा नम्बर–5361 रक्वा 0.158, खसरा नम्बर–5362 रक्वा 1.308, खसरा नम्बर–5364 रक्वा 0.717, खसरा नम्बर–5446 रक्वा 0.277 है0 कुल रक्वा 2.410 है0 मध्ये 1.310 है0, भूमि पर रेल विकास निगम लि0 द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से उपखनिज पत्थर/मक/मलवा डम्प किया गया है। उक्त स्थल पर जहां पर रेल विकास निगम लि0 द्वारा मलवा डम्प किया गया है। (संलग्नक–2)

3. चोपड़ा गदेरे में एकत्रित मक की कुल मात्रा के सम्बन्ध में उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा विभागीय सर्वेक्षक की सहायता से पैमाइश की गयी। पैमाइश करने पर पाया गया कि उक्त चोपड़ा गदेरे में कुल लगभग 60702.71 घनमीटर अर्थात् 97124.34 टन उपखनिज पत्थर/मक एकत्रित किया गया है, जिसमें से रेल विकास निगम के ठेकेदार मेघा कम्पनी द्वारा उपयोगी उपखनिज पत्थर को डम्पर में भरकर क्रेशर प्लांट में ले जाया जा रहा था। स्पष्ट है कि कम्पनी प्रबन्धन द्वारा उपयोगी उपखनिज का उपयोग क्रेशर प्लांट से ग्रिट/डस्ट तैयार कर टनल निर्माण/सुदृढीकरण हेतु किया जा रहा है।

4. राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज "अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण" नियमावली 2021 की अध्याय 3 के नियम 8(6) के अनुसार परियोजना के निर्माण/टनल से निकले

मक के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र एच–1 में आवेदन निर्धारित शुल्क रू0 50,000.00 के चालान सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय देहरादून को प्रस्तुत करना चाहिए था तथा नियमावली में गठित समिति के माध्यम से जांच होनी थी तथा समिति की जांच आख्या के आधार पर अनुमति शासन स्तर से प्राप्त की जानी चाहिए थी, जो कि नियमानुसार नहीं की गयी है। रेल विकास निगम द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये तथा बिना राजस्व/रायल्टी व अन्य कर का भुगतान किये मक डम्पिंग याड से खनिजों का उपयोग किया जाना उपरोक्त नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लंघन है।

5. संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.04.2024 को मौके पर उपस्थित रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि चोपड़ा गदेरा में एकत्रित मक का पूर्ण उपयोग टनल निर्माण कार्य में किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि एकत्रित मक के पूर्ण उपयोग के उपरान्त चोपड़ा गदेरे में पूर्व में लगाये गये क्षतिग्रस्त वॉयर क्रेट एवं नवीन वॉयर क्रेट का निर्माण कर, उक्त गदेरे को पूर्व की भांति विकसित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई भी जल स्रोत नहीं पाया गया एवं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उक्त गदेरे को बरसाती गदेरा बताया गया है। एकत्रित मक से हुई क्षति हेतु क्षतिपूर्ति रेल विकास निगम लि0 द्वारा राजस्व विभाग को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग की आख्यानुसार–
   1. वर्तमान समय में मौके पर पाया गया कि संबन्धित प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति/स्वीकृति प्राप्ति के बिना ही निर्माण कार्य किया गया है।
   2. उक्त निर्माण कार्य हेतु सक्षम स्तर से अनुमति/स्वीकृति से संबन्धित अभिलेख/अनुमति पत्र के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण से पूछताछ की गई, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति/अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।
   3. पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय–समय पर प्रश्नगत् स्थल का संबन्धित प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधि एवं वन विभाग के कर्मियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण में प्रस्तावित/चयनित 0.8511 है0 सिविल वन भूमि से अतिरिक्त 0.4589 है0 सिविल वन क्षेत्र पर मलवा निस्तारण पाया गया।
   4. उक्त अतिरिक्त क्षेत्र पर किये गये मलवा निस्तारण से वन सम्पदा को हुई क्षति के आंकलन हेतु वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज को निर्देशित किया गया, जिसके एवज में दक्षिणी जखोली रेन्ज द्वारा संबन्धित प्रस्तावक विभाग के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जुर्म केश संख्या–40/2022–23 दिनांक 23.02.2023 दर्ज कर उक्त क्षति से आकलित रूपये 4,61,291.00 (चार लाख इकसठ हजार दो सौ इक्यानवें) मात्र की धनराशि वसूल कर वन राजस्व में जमा कराई गई।
   5. भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो एवं उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मलवा निस्तारण किये जाने हेतु संबन्धित प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देश दिये गये।
   6. उक्त के अतिरिक्त संबन्धित प्रस्तावक विभाग को यह भी निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत् मक डम्पिंग स्थल का reclamation Plan तैयार करें व उक्त स्थल के rejuvenation हेतु विभिन्न गतिविधि (जिससे भविष्य में उक्त नाले/गदेरे के बहाव से वन सम्पदा/पर्यावरण/जानमाल का कोई नुकसान/क्षति न हो) प्रस्तावित करते हुए भारत सरकार को उपलब्ध करायें। (संलग्नक–3)

7. रेलवे विकास निगम लिमिटेड एवं कार्यदायी संस्था मेघा इंजीनियरिंग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान जनित मक को निस्तारित करने हेतु डम्पिंग स्थल की अनुमति नहीं ली गयी तथा कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलेशन वेस्ट प्रबन्धन नियम–2022 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

8. सहायक महानिरीक्षक वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की आख्यानुसार:–
   1) प्रस्ताव इस कार्यालय में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण के पत्र द्वारा दिनांक 27.04.2022 को प्राप्त हुआ। वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन है तथा अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही प्रस्तावित स्थल (वन भूमि) पर कार्य किया जा रहा है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। पूर्व में इन मुद्दों को इंगित करते हुए, इस कार्यालय ने पत्र दिनांक 17.03.2023 (संलग्नक–4) एवम् बाद में दिनांक 12.04.2024 (संलग्नक–5) के माध्यम से राज्य सरकार को विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के लिए संचार किया गया, ताकि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई की जा सके।
   2) इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.03.2023 का जवाब इस कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसके अवलोकन उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि परियोजना की समयबद्धता के दबाव में अन्य कोई विकल्प न होने के कारण स्वीकृति की प्रत्याक्षा में प्रस्तावित डम्पिंग स्थल पर मक डम्प किया गया है। अतः यह मामला वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का प्रतीत होता है। इसके मध्यनजर प्रकरण में वन (संरक्षण एवम् संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
   3) प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 05 का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हालांकि निरीक्षण के दौरान देखा गया कि कोई वृक्ष नहीं काटा गया है तथा मलबा भी अलकनंदा नदी में नहीं जा रहा है।

समिति द्वारा की गई जांच एवं वन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, राजस्व विभाग द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. रेल विकास निगम लि0 द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ग्राम जवाडी की खतौनी खाता संख्या–41/251, श्रेणी–9(3) ड0 (कृषि योग्य बंजर भूमि) के खसरा नम्बर–5361 रक्वा 0.158, खसरा नम्बर–5362 रक्वा 1.308, खसरा नम्बर–5364 रक्वा 0.717, खसरा नम्बर–5446 रक्वा 0.277 है0 कुल रक्वा 2.410 है0 मध्ये 1.310 है0, भूमि मलवा डमप किया गया है।
2. उपरोक्त खसरों के मध्य खसरा नम्बर–5363 रौली अपनी पूर्ववत् स्वरूप में है व मलवा डम्पिंग से निजी नाप भूमि को कोई क्षति नहीं हुई है।
3. उक्त स्थान पर मलवा डम्पिंग से 05 वृक्षों के तने दबे हैं तथा उक्त वृक्षों की शाखाएं हरी–भरी अवस्था में हैं, जिससे उक्त वृक्षों को कोई भी नुकसान होना प्रतीत नहीं होता है।
4. रेल विकास निगम द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये तथा बिना राजस्व/रायल्टी व अन्य कर का भुगतान किये मक डम्पिंग याड से खनिजों का उपयोग किया जाना उपरोक्त नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लंघन है।
5. पूर्व में वन विभाग के कर्मियों द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण में प्रस्तावित/चयनित 0.8511 है0 सिविल वन भूमि से अतिरिक्त 0.4589 है0 सिविल वन क्षेत्र पर मलवा निस्तारण पाया गया।
6. जिसके एवज में दक्षिणी जखोली रेन्ज द्वारा संबन्धित प्रस्तावक विभाग के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए जुर्म केश संख्या–40/2022–23 दिनांक 23.02.2023 दर्ज कर उक्त क्षति से आंकलित रूपये 4,61,291.00 (चार लाख इकसठ हजार दो सौ इक्यानवें) मात्र की धनराशि वसूल कर वन राजस्व में जमा कराई गई।
7. रेलवे विकास निगम लिमिटेड एवं कार्यदायी संस्था मेघा इंजीनियरिंग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान जनित मक को निस्तारित करने हेतु डम्पिंग स्थल की अनुमति नहीं ली गयी तथा कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलेशन वेस्ट प्रबन्धन नियम–2022 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं जल/वायु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

8. वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है तथा यह पाया गया है कि उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही स्थल (वन भूमि) पर कार्य किया जा रहा है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः प्रकरण में वन (संरक्षण एवम् संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(डा0 ओ0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(नीलिमा शाह)
सहा0 महानिरीक्षक वन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

उप जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

संलग्नक-01

आज दिनांक 2-4-2024 को चोपता सिविल मे रेलवे विभाग (मेघा कम्पनी) द्वारा डंपिंग जोन। क्रेशर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कि आज निम्न अधिकारियो। कर्मचारियो के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है जिनके हस्ताक्षर निम्न प्रकार से है.

(1) श्री अभिमन्यु उपवनसंरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग [signature]
(2) नीलीमा शाह AIGF MOEF & CC
(3) श्री सूरज प्रकाश रेल विकास निगम [signature]
(4) M.K. बहुखण्डी विशेषज्ञ पर्या. RVNL [signature]
(5) श्री आदर्श शर्मा RVNL
(6) श्री विनोद बिष्ट RVNL [signature]
(7) श्री लाल बहादुर आर्या उपवनक्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग वनप्रभाग [signature]
(8) श्री दिग्विजय सिंह वन दरोगा [signature]
(9) श्रीमती कुसुम खण्डूरी वन दरोगा [signature]
(10) श्री गोविन्द सिंह चौहान वन आरक्षी [signature]
(11) श्री संजय सिंह वन आरक्षी Sanjay Singh
(12) श्रीमती लक्ष्मी राजस्व उपनिरीक्षक [signature]
(13) श्री रामकिशोर ध्यानी तहसीलदार रुद्रप्रयाग [signature]
(14) उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग [signature]
(15) श्री डा० आर० के० चतुर्वेदी क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड [signature]
(16) श्री राकेश कण्डारी सहायक पर्यावरण अभियन्ता प्र० नि० बोर्ड [signature]
(17) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह उपनिदेशक खनन विभाग [signature]
(18) श्री खुशवन्त सिंह चौहान अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग [signature]
(19) श्री प्रवीण सिंह ~~बिष्ट~~ डुंगरियाल सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग [signature]
(20) श्री विक्रम कण्डवाल (उत्तारस) [signature]
(21) श्री भगवती प्रसाद नौटियाल (चोपता) पूर्व उप प्रधान प्रतिनिधि [signature]

।। संयुक्त निरीक्षण आख्या ।।

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या– 2616/33–15 (2023–24) दिनांक 22.03.2024 के द्वारा सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्रांकः यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–759/2024/1628 दिनांक 18.03.2024 के क्रम में रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा चोपड़ा गधेरे में किये गये मक डम्पिंग की जांच हेतु गठित समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.04.2024 को अधोहस्ताक्षरी, तहसीलदार रुद्रप्रयाग, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, रुद्रप्रयाग एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग एवं राजस्व उप निरीक्षक, जवाड़ी द्वारा किया गया।

1– संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.04.2024 को मौके पर उपस्थित रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि चोपड़ा गदेरा में एकत्रित मक का पूर्ण उपयोग टनल निर्माण कार्य में किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एकत्रित मक के पूर्ण उपयोग के उपरान्त चोपड़ा गदेरे में पूर्व में लगाये गये क्षतिग्रस्त वॉयर क्रेट एवं नवीन वॉयर क्रेट का निर्माण कर, उक्त गदेरे को पूर्व की भॉति विकसित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई भी जल स्रोत नहीं पाया गया एवं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उक्त गदेरे को बरसाती गदेरा बताया गया है। एकत्रित मक से हुई क्षति हेतु क्षतिपूर्ति रेल विकास निगम लि0 द्वारा राजस्व विभाग को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

2– संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक–02 अप्रैल, 2024 तथा 04 अप्रैल, 2024 को चोपड़ा गदेरे में एकत्रित मक की कुल मात्रा के संबंध में उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा विभागीय सर्वेक्षक की सहायता से पैमाइश की गयी। पैमाइश करने पर पाया गया कि उक्त चोपड़ा गदेरे में कुल लगभग 60702.71 घनमीटर अर्थात 97124.34 टन उपखनिज पत्थर/मक एकत्रित किया गया है, जिसमें से रेल विकास निगम के ठेकेदार मेघा कम्पनी द्वारा उपयोगी उपखनिज पत्थर को डम्पर में भरकर क्रेशर प्लांट में ले जाया जा रहा था। स्पष्ट है कि कम्पनी प्रबन्धन द्वारा उपयोगी उपखनिज का उपयोग क्रेशर प्लांट से ग्रिट/डस्ट तैयार कर टनल निर्माण/सुदृढीकरण हेतु किया जा रहा है।

राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज "अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण" नियमावली 2021 की अध्याय 3 के नियम 8(6) के अनुसार परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र एच–1 में आवेदन निर्धारित शुल्क रू0 50,000.00 के चालान सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय देहरादून को प्रस्तुत करना चाहिए था तथा नियमावली में गठित समिति के माध्यम से जांच होनी थी तथा समिति की जांच आख्या के आधार पर अनुमति शासन स्तर से प्राप्त की जानी चाहिए थी, जो कि नियमानुसार नहीं की गयी है। रेल विकास निगम द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये तथा बिना राजस्व/रायल्टी व अन्य कर का भुगतान

किये मक डम्पिंग याड से खनिजों का उपयोग किया जाना उपरोक्त नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लंघन है।

3– संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक–02 अप्रैल, 2024 को मौके पर उपस्थित राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम जवाड़ी की खतौनी खाता संख्या–41/251, श्रेणी–9 (3) ड़0 (कृषि योग्य बंजर भूमि) के खसरा नम्बर–5361 रक्वा 0.158, खसरा नम्बर–5362 रक्वा 1.308, खसरा नम्बर–5364 रक्वा 0.717, खसरा नम्बर–5446 रक्वा 0.227 है0 कुल रक्वा 2.410 है0 मध्ये 1.310 है0, भूमि पर रेल विकास निगम लि0 द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से उपखनिज पत्थर/मक/मलवा डम्प किया गया है। उक्त स्थल जहॉ पर रेल विकास निगम लि0 द्वारा मलवा डम्प किया गया है, के मध्य खसरा नम्बर–5363 रौली अपनी पूर्ववत स्वरूप में है व मलवा डम्पिंग से निजी नाप भूमि को कोई क्षति नहीं हुयी है। उक्त स्थान पर मलवा डम्पिंग से 05 वृक्षों की क्षति हुई है।

(लक्ष्मी जगवाण)
रा0उ0नि0
जवाड़ी।

(प्रवीन सिंह डुंगरियाल)
सहायक अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग।

(खुशवन्त सिंह चौहान)
अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग।

(राम किशोर ध्यानी)
तहसीलदार,
रूद्रप्रयाग।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप निदेशक/ज्ये0खा0अधि0,
रूद्रप्रयाग।

(आशीष चन्द्र घिल्डियाल)
उप जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

तहसीलदार महोदय,

रुद्रप्रयाग।

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संखय—44 / 2024 Jot singh bisht vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक—07.03.2024 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या—2616 / 33—15 (2023—24) दिनांक 22.03.2024 के क्रम में रेल विकास निगम लि0 द्वारा चोपड़ा गदेरे में किये गये मलवा डम्पिंग की जॉच हेतु गठित समिति द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक—02 अप्रैल, 2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम जवाड़ी की खतौनी खाता संख्या—41 / 251, श्रेणी—9 (3) ड़0 (कृषि योग्य बंजर भूमि) के खसरा नम्बर—5361 रक्वा 0.158, खसरा नम्बर—5362 रक्वा 1.308, खसरा नम्बर—5364 रक्वा 0.717, खसरा नम्बर—5446 रक्वा 0.227 है0 कुल रक्वा 2.410 है0 मध्ये 1.310 है0, भूमि पर रेल विकास निगम लि0 द्वारा अवैध मलवा डम्प किया गया है। उक्त स्थल जहॉ पर रेल विकास निगम लि0 द्वारा मलवा डम्प किया गया है, के मध्य खसरा नम्बर—5363 रौली अपनी पूर्ववत स्वरूप में है व मलवा डम्पिंग से निजी नाप भूमि को कोई क्षति नहीं हुयी है। उक्त स्थान पर मलवा डम्पिंग से 05 वृक्षों की क्षति हुई है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न—यथोक्त्।

भवदीया,

02/04/2024

(लक्ष्मी जगवाण)

राजस्व उप निरीक्षक,

जवाड़ी।

नजरी नक्शा

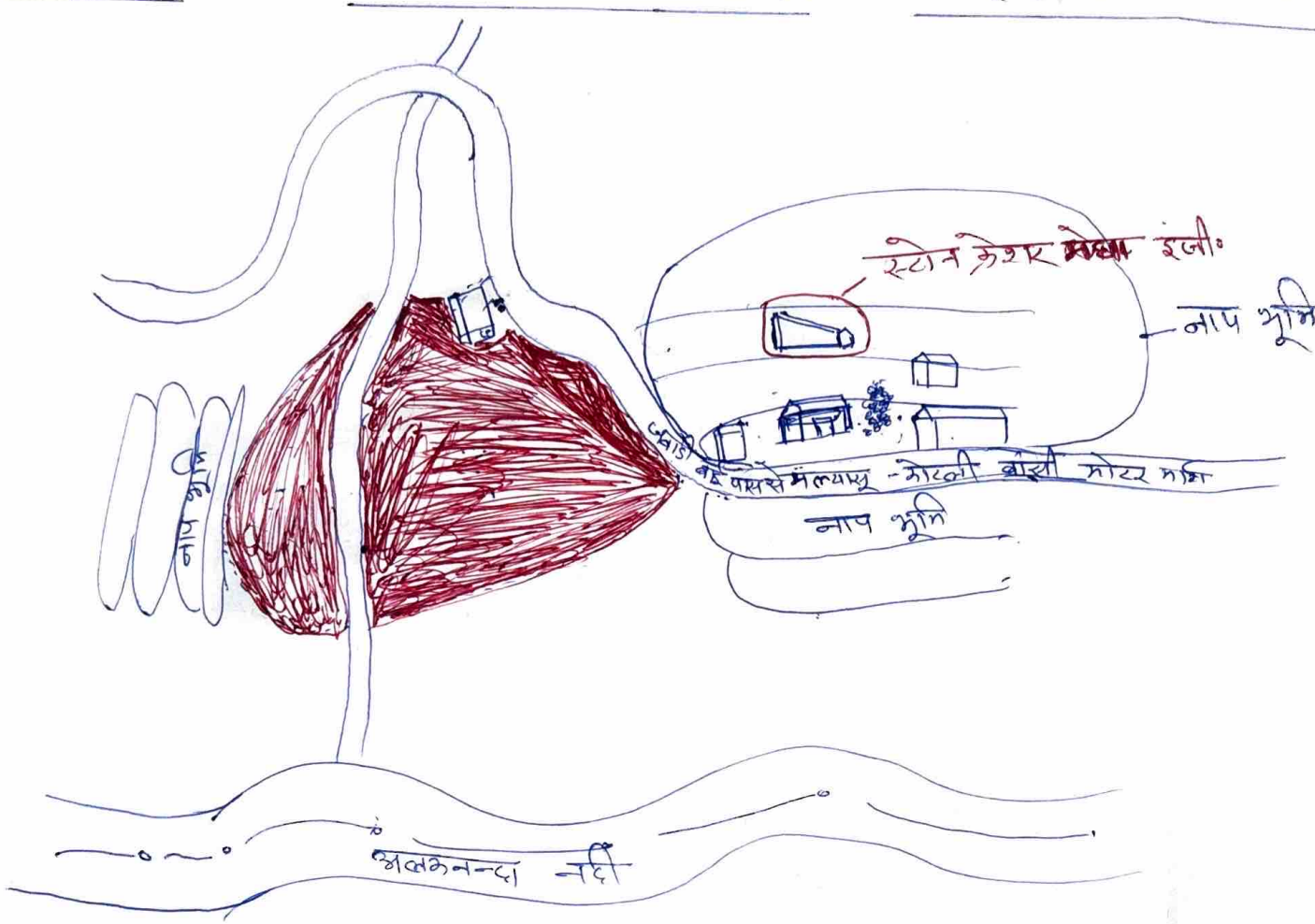

ग्राम - जवाड़ी | रा० उ० नि० क्षेत्र - जवाड़ी | तहसील व जिला - रूद्रप्रयाग

संलग्नक 30

PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148808/2021

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) वन भूमि की संयुक्त निरीक्षण आख्या/टिप्पणी :–

प्रस्तावित क्षेत्रफल	–	**0.8511 है0**
अतिरिक्त/उल्लंघन क्षेत्रफल	–	**0.4589 है0**
भूमि का प्रकार	–	**सिविल वन भूमि**
प्रभावित वृक्षों की संख्या	–	**05**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–44/2024 Jot Singh Bist Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 के अनुपालन में प्रश्नगत स्थल का संयुक्त टीम **(उपस्थिति सूची संलग्न है)** के साथ मौके पर दिनांक 02.04.2024 को संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया। निरीक्षण में मौके पर पाये गये तथ्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

1. वर्तमान समय में मौके पर पाया गया कि संबंधित प्रस्तावक विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति/स्वीकृति प्राप्ति के बिना ही निर्माण कार्य किया गया।

2. उक्त निर्माण कार्य हेतु सक्षम स्तर से अनुमति/स्वीकृति से संबंधित अभिलेख/अनुमति पत्र के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण से पूछताछ की गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति/अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

3. पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय–समय पर प्रश्नगत स्थल का संबंधित प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधि एवं वन विभाग के कर्मियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के पश्चात् प्रकरण में प्रस्तावित/चयनित 0.8511 है0 सिविल वन भूमि से अतिरिक्त 0.4589 है0 सिविल वन क्षेत्र पर मलवा निस्तारण पाया गया।

4. उक्त अतिरिक्त क्षेत्र पर किये गये मलवा निस्तारण से वन सम्पदा को हुई क्षति के आंकलन हेतु वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज को निर्देशित किया गया, जिसके एवज में दक्षिणी जखोली रेन्ज द्वारा संबंधित प्रस्तावक विभाग के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जुर्म केस सं0–40/2022-23 दिनांक 23.02.2023 दर्ज कर उक्त क्षति से आंकलित रुपये **4,61,291.00 (चार लाख इकसठ हजार दो सौ इक्यानबे) मात्र** की धनराशि वसूल कर वन राजस्व में जमा कराई गई।

5. भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो एवं उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मलवा निस्तारण किये जाने हेतु संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देश दिये गये।

6. उक्त के अतिरिक्त संबंधित प्रस्तावक विभाग को यह भी निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत मक डम्पिंग स्थल का reclamation plan तैयार करें व उक्त स्थल के rejuvenation हेतु विभिन्न गतिविधि (जिससे भविष्य में उक्त नाले/गदेरे के बाहव से वन सम्पदा/पर्यावरण/जानमाल का कोई नुकसान/क्षति न हो) प्रस्तावित करते हुये भारत सरकार को उपलब्ध करायें।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संलग्नक-4

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001
दूरभाष:0135-2650809
फैक्स.0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./07/29/2022/एफ.सी./1020 दिनांक:17/03/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेष-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.8511 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तना (Online Proposal no. FP/UK/RAIL/148808/2021)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1978/FP/UK/RAIL/148808/2021 दिनांक 17.02.2023 (Uploaded on 21.02.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषय में सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव की के.एम.एल. के अवलोकन उपरान्त यह देखा गया है कि एफ.सी. अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन से पूर्व ही प्रस्तावित स्थल पर मलबा डाला जा चुका है, जो कि एफ सी अधिनियम 1980 के उल्लंघन के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख नदी (अलकनंदा) से इस स्थल की निकटता के कारण, अनियमित मलबा निस्तारण से नदी का प्रदूषण हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी इस संबंध में कार्यवाही करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

o/c

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

o/c

17.3.23
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

संलग्नक-5

SB/UCP/07/29/2022/FC

I/69747/2024

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

सत्यमेव जयते

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/29/2022/एफ.सी./56 दिनांकः 12/04/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः. जनपद- रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेष-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.8511 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/RAIL/148808/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि माननीय एन0 जी0 टी0 में दर्ज Original Application No. 44/2024 के संदर्भ में पारित आदेश अनुसार प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही प्रस्तावित स्थल (वन भूमि) पर कार्य किया जा रहा है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की विस्तृत आख्या (जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि, उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम एवं पदनाम, वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो) इस कार्यालय में प्रषित करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी की विस्तृत आख्या पर राज्य शासन अपना अभिमत प्रकट कर रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रषित करने का कष्ट करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 12-04-2024 15:05:59

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C